नि/रा०रा/2018/01515 (96)

न्यायालय समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल म. प्र., ग्वालियर, लिन्क कोर्ट रीवा जिला रीवा (म. प्र.)

1. हीरा सिंह तनय स्व. इन्द्रपाल सिंह उम्र 65 साल पेशा खेती निवासी ग्राम शाहपुर तहसील त्योंथर जिला रीवा म. प्र. .... आवेदक

बनाम्

1. जनार्दन सिंह पिता सरदार सिंह उम्र 60 साल
2. जगदीश सिंह पिता बरजोर सिंह उम्र 62 साल
3. राजबहोरन सिंह तनय बरजोर सिंह उम्र 55 साल
4. कुसुमकली पत्नी जगदीश सिंह उम्र 58 साल,

सभी निवासी ग्राम शाहपुर थाना, जवा तहसील त्योंथर जिला रीवा म. प्र. .... अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर दिनांक 18.08.2017 जरिए अपील प्रकरण क्रमांक 78 अ 6/अपील 193–94 बावत प्रस्तुत किए जाने उपरोक्त अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 जा. दीवानी शहपठित धारा 50 (2) म. प्र. भू. रा. संहिता वर्ष 1959

अधि० श्री रमाशंकर सिंह द्वारा पेश 01-03-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नानुसार है:–

1. यहकि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ विधि, प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

2. यहकि अदालत मातहत ने इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्र.3 (राजबहोरन सिंह) पक्षकार मुकदमा था। जिसमें क्र.2, मृत प्रयार्थी क्र. 2 का पति था व धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 1956 के तहत विधिक प्रतिनिधि था व वही प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन अपील का

(87) (96)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग./18/1515 जिला रीवा

हीरालाल सिंह विरूद्ध जनार्दन सिंह वगैरह

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री रमाशंकर सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 78/A6/अपील/93-94 में पारित आदेश दिनांक 18.8.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21-1-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	